बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0:- 5458659 / पटना, दिनांक :- 15/04/2026

सं0सं0-ग्रा0वि0-14(द0)मधु0-02/2021

श्री राजकुमार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 17 दिनांक- 05.01.2021 एवं पत्रांक- 1041 दिनांक- 27.04.2021 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना में वाद संख्या-155/2010 में दर्ज मामले में माननीय न्यायालय द्वारा वित्तीय अनियमितता से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन ससमय नहीं भेजने के लिये गंभीर टिप्पणी की गयी है । श्री चौधरी द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन को छिपाये अथवा दबाये जाने का प्रयास किया गया है ।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री चौधरी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये सम्यक विचारोपरांत अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड' अधिरोपित किया गया ।

दंड अधिरोपणोपरांत श्री राजकुमार चौधरी द्वारा दिनांक-11.01.2022 को पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी जिसमें कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिसूचना संख्या-947316 दिनांक-24.05.2022 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया ।

उक्त के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 के विरूद्ध श्री राजकुमार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-17331/2023 दायर किया गया। दायर वाद के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.09.2025 को आदेश पारित किया गया कि ".....the order contained in the notification no. 947316 dated 24.05.2022 passed by the Revisional Authority and the order contained in the notification no.673896 dated 21.12.2021 passed by the Disciplinary Authority, are hereby quashed."

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री राजकुमार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैसा (पूर्णियां) के विरूद्ध अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.4.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

का०परि०

वही

अधिसूचना सं0:- 5458659 / पटना, दिनांक :- 15/04/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.4.26

सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना सं0:- 5458659 / पटना, दिनांक :- 15/04/2026

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त, मधुबनी एवं पूर्णियां/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी एवं पूर्णियां/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री राजकुमार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, (मधुबनी) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैसा (पूर्णियां)/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.4.26
सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना सं0:- 5458659 / पटना, दिनांक :- 15/04/2026

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.4.26
सरकार के अपर सचिव